

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-16/2025- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
Ansari Nagar, New Delhi-110029
दिनांक/Dated **14 FEB 2026**

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सीनियर फार्मसी अधिकारी (पूर्ववर्ती विनिर्माण फार्मसिस्ट/सीनीयर फार्मसिस्ट) के पद पर पदोन्नति।

Subject:-Promotion to the post of Senior Pharmacy Officer (Erstwhile Manufacturing Pharmacist/Sr. Pharmacist) at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 03-02-2026 को सीनियर फार्मसी अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित फार्मसी ऑफिसर को वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल-6 के अन्तर्गत सीनियर फार्मसी अधिकारी के पद पर हुई है। इनकी पदोन्नति एन.सी.आई.झज्जर के निर्धारित पद पर हुई है, वे इस कार्यालय आदेश की जारी होने की तिथि से एन.सी.आई.झज्जर में 10 दिनों के अंदर पदभार ग्रहण करें, यदि वे निर्धारित समय के अंदर एन. सी. आई., झज्जर में पदभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि वे पदोन्नति को अस्वीकार करते हैं।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Senior Pharmacy Officer held on 03.02.2026 and its acceptance by the Competent Authority, following Pharmacy Officer's are promoted to the post of Senior Pharmacy Officer in Level-6 in the pay matrix against the post meant for NCI Jhajjar are required to join the post of Senior Pharmacy Officer at NCI Jhajjar within 10 days from the date of issue of this office order failing which it will be presumed that they have denied their promotion.

Sr. No.	Name of Employee	Category	Considered against the category	Present Department	New Place of Posting
01	Sh. Mohan Jit	UR	UR	Hospital	NCI Jhajjar
02	Sh. Dharamvir Singh	UR	UR	CNC	NCI Jhajjar

यदि, वे एन. सी. आई., झज्जर में सीनियर फार्मसी अधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने में मना करते हैं /असफल होते हैं तो सीनियर फार्मसी अधिकारी के पद पर उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी.ओ.पी.टी. के निदेशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार पदोन्नति के लिए मना करता है तो ऐसे मामलों में अगले एक वर्ष तक निर्धारित अवधि या अगली रिक्तियां आनें तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों में से कोई भी बाद में।

In case, the promoted official's do not join NCI, Jhajjar on promotion against the post created for NCI, Jhajjar within 10 days from the date of issue of this office order, such act will be considered as refusal of promotion and promotion order in respect of such incumbents would be treated as cancelled/withdrawn. Accordingly as per DOP&T instruction on this subject they will be debarred from promotion for a period of one year or till such time next vacancy arises, whichever is later.

इनकी वरिष्ठता सीनियर फार्मसी अधिकारी (पूर्ववर्ती विनिर्माण फार्मसिस्ट/ सीनीयर फार्मसिस्ट) के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात् 03-02-2026 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of Senior Pharmacy Officer (Erstwhile Manufacturing Pharmacist/Sr. Pharmacist) will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 03.02.2026.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई. झज्जर,बाढ़सा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भर्तों के हकदार होंगे।

Cont. on -2-

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of his status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad/NCL, Jhajjar and Badsa Jhajjar and at any other Centre opened by the Institute in future.

उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हे आंशोधित आशवस्ति वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आशवस्ति वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22 (1), if applicable, either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided they have not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढ़सा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

वे दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना नोटिस, दिए अथवाबिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation, they will be required to put in satisfactory services failing which their services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of his service will be the same as are applicable to other employees of the Institute



(राज कुमार भोला / RAJ KUMAR BHOLA)
प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

संबंधिक सहायक

The persons concerned

Pharmacy Officer (Erstwhile Pharmacist Grade-I)

द्वारा/Thr.: - प्रशासनिक अधिकारी- हॉस्पिटल/सी.एन.सी

Administrative Officer-Hospital/CNC

प्रतिलिपि:

- 1 चिकित्सा अधीक्षक- (अस्पताल) /Medical Superintendent, Hospital
2. ऑफिसर इन्चार्ज (अस्पताल) सी.एन.सी. - The Officer In-charge – Hospital/CNC
- 3 प्रशासनिक अधिकारी- अस्प./सी.एन.सी.-Administrative Officer- Hospital/CNC
- 4 स्थापना अनुभाग – हॉस्पिटल/सी.एन. सी. - Establishment Section – Hospital/CNC
- 5 लेखा विभाग/ Accounts Section, II/III सी.एन. सी.
- 6 ए.सी.आर सेल/ एस.सी./एस.टी विभाग / सतर्कता विभाग
ACR Cell/ SC/ST Cell/Vigilance Cell
- 7 प्रो. इन्चार्ज- कम्प्यूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website